भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

26 FEB 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CK 412610

न्यास पत्र

हमकि गजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 राम दुलारे सिंह निवासी 102–जी, रामनगर कालोनी,लच्छीपुर, पोस्ट–गोरखनाथ, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर।

व

अमरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 रामदुलारे सिह निवासी ग्राम–विशुनपुर, पोस्ट–मानीराम, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर।

व

उमाशंकर सिंह पुत्र स्व0 रामदुलारे सिंह निवासी 103–वी, रामनगर कालोनी, लच्छीपुर, पोस्ट–गोरखनाथ, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर के है।

विदित हो कि हम मुकिरान समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते है तथा हम मुकिरान के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूल–भूत आवश्यकताएं, भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा शिक्षित बेरोजगारों में उद्यमिता का विकास कर उनके योग्यता एवं शिक्षा के अनुरूप तकनीकी, प्रबन्धन एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही साथ मेधावी व प्रतिभासम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए हम मुकिरान प्रयासरत है। जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिये विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है।

Manager

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 446922

इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुकिरान द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिरान द्वारा अपने उक्त प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करने के लिये तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 10000/-(दस हजार) रूपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पति की हम व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिरान ने अपने द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यासपत्र को भी निष्पादित किया है जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी:-

1. यहकि हम मुकिरान द्वारा स्थापित ट्रस्ट का नाम "आर0डी0एस0 एजूकेशनल ट्रस्ट" होगा, जिसे न्यासपत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यहकि हम मुकिरान द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय 102 जी, रामनगर कालोनी,लच्छीपुर, पोस्ट-गोरखनाथ, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।
3. यहकि हम मुकिरान न्यास मजकूर के संस्थापक होंगे तथा प्रथम पक्ष गजेन्द्र प्रताप सिंह सचिव, द्वितीय पक्ष अमरेन्द्र कुमार सिंह ट्रस्ट के अध्यक्ष व तृतीय पक्ष उमाशंकर सिंह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कहे जायेंगे और सम्मिलित रूप से हम मुकिरान को ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी भी कहा जायेगा। भविष्य में आवश्यक होने पर ट्रस्ट के सुचारू संचालन हेतु आम सहमति के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन की कार्यवाही भी जा सकेगी। हम मुकिरान द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं को ट्रस्ट का न्यासी/ट्रस्टी नामित किया जाता है। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा। भविष्य में हम [illegible] आम सहमति से

Manager Principal

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 446923

ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिरान द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी जो कि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष के हैं, को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्टमण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिरान द्वारा ट्रस्टी के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया गया है:-

1. पुष्पा सिंह पुत्री स्व0 नरेन्द्र वीर शाही निवासी मारवाडी कोठी, पोस्ट-मानीराम, जिला-गोरखपुर।
2. किरन सिंह पुत्री श्री जयप्रकाश सिंह निवासी भरवलिया बुजुर्ग, पोस्ट-सिद्धार्थ इन्क्लेव, जिला-गोरखपुर।
3. शशि प्रभा सिंह पुत्र श्री रामाश्रय सिंह निवासी मुहल्ला-शिवपुर सहबाजगंज, पोस्ट-जंगल सालिकराम, जिला-गोरखपुर।
4. श्री वरूण प्रताप सिंह पुत्र श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी 102-जी, रामनगर कालोनी, पोस्ट-गोरखनाथ, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर।
5. अभिषेक प्रताप सिंह पुत्र श्री उमाशंकर सिंह निवासी 103-बी, रामनगर कालोनी, पोस्ट-गोरखनाथ, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर।
6. श्री ऋषभ सिंह पुत्र श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह निवासी 99-डी, रामनगर कालोनी, पोस्ट-गोरखनाथ, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर।
7. देवेन्द्र कुमार शुक्ल पुत्र स्व0 पटेश्वरी प्रसाद शुक्ल निवासी मकान नं0 128-टी, सेक्टर-3, आजाद नगर, पोस्ट-गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर।
8. श्रीमती संगीता सिंह पत्नी श्री मनीष कुमार सिंह निवासी मकान नं0 49 जे, तकिया कवलदह, सूर्यबिहार कालोनी, पोस्ट-गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर।
9. जगभूषण सिंह पुत्र स्व0 राणा प्रताप सिंह निवासी मकान नं0 135 ए, सेक्टर-3, आजाद नगर, पोस्ट-गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर।

4. चूँकि हम मुकिरान द्वारा "आर0डी0एस0 एजूकेशनल ट्रस्ट" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित

Manager
Sky International School
Vishunpur, Maniram
Gorakhpur

Principal

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 446924

1. समाज के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभासम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
3. नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, हायर सेकेन्ड्री व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा रोजगारपरक व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर उनका संचालन करना।
4. शिक्षा प्रचार–पसार,उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा, तकनीकी,गैर तकनीकी शिक्षा, विधि शिक्षा, शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना तथा इसके सम्बन्ध में गठित सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों व बार काउन्सिल आफ इण्डिया तथा एन0सी0टी0ई0 इत्यादि से नियमानुसार मान्यता व सम्बद्धता प्राप्त कर नियमानुसार पाठ्यक्रम का संचालन करना।
5. वर्तमान समय में विज्ञान के जन–जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
6. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, पेन्टिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत, कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाईंग प्रशिक्षण आदि केन्द्रों की स्थापना व प्रबन्धन करना।
7. खाद्य प्रसंस्करण तथा फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

Manager
Sky International School
Vishunpur, Maniram
Gorakhpur

Principal
Sky International School

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 446932

8. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता करना।
9. विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित कर गूंगे, बहरे, अन्धों एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, विकलांगो, युवाओं तथा गरीब निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की व्यवस्था करना।
10. वृद्धों के लिये विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।
11. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना व संचालन करना।
12.. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, पुस्तकालय, खेल मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र, बालवाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
13. घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन कराना।
14. नशा के सेवन से छुटकारा पाने के लिये नशामुक्ति चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
15. समाज में व्याप्त बुराईयों अन्ध–विश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग–भेद, अस्पृश्यता, स्वैच्छिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
16. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना।
17. विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।
18. एड्स, कैन्सर, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की रोकथाम/जागरूकता/उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लिए होमियापैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व पैरामेडिकल महाविद्यालयों तथा चिकित्सालय केन्द्र की स्थापना व संचालन करना।

Manager
Sky International School
Vishunpur, Maniram
Gorakhpur

Principal
Sky International School
Vishunpur, Maniram

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 446933

19. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय नाली, सड़क निर्माण, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।
20. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये–नये वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कराना तथा नये–नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों को प्रशिक्षित करना।
21. प्राकृतिक आपदा की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना।
22. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान व कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना करना।
23. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।
24. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित हैं तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
25. अन्य सरकारी एन0जी0ओ0, एसोसियेशन, ट्रस्ट के किया–कलापों में सहयोग देना।
26. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना।
27. ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा को खोलना तथा इसके क्रिया–कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना।
28. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण व सहायता प्राप्त करना।

5. न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्यः

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

Manager
Sky International School
Vishunpur, Maniram
Gorakhpur

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 446934

2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारु व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली बनाना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना और इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक स्थिति में उसकी संचालन गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के कार्यो के लिए आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, चिकित्सालयों, व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा उसे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

Manager
Sky International School
Vishunpur, Maniram
Gorakhpur

Principal
Sky International School
Maniram

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 446937

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक होने पर ट्रस्ट विलेख में तीनों मुख्य ट्रस्टीगण के आम सहमति की स्थिति में ट्रस्ट मण्डल के 2/3 बहुमत से संशोधन की कार्यवाही सम्पन्न करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित अन्य समस्त कार्यों को करना।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन–

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:–

1. ट्रस्ट के संस्थापक मुख्य ट्रस्टीगण को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में मुख्य ट्रस्टीगण में से किसी के द्वारा अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाय तो उनके स्थान पर ट्रस्ट के तत्कालीन अवशेष न्यासियों/ट्रस्टीगण को मृत मुख्यट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से ट्रस्ट के लिए योग्य एवं हितैषी उत्तराधिकारी की बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्यट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।

2. मुख्य ट्रस्टीगण में से किसी मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा।

4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी न्यासी अथवा मुख्य न्यासी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा। ट्रस्ट मण्डल में इस प्रकार की कोई रिक्ति होने पर ट्रस्ट मण्डल के पदाधिकारियों के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धित ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से की जायेगी, यदि किसी ट्रस्टी के एक से अधिक उत्तराधिकारी है तो उनमें से योग्य एवं ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले पदाधिकारी को ट्रस्ट में सम्मिलित किये जाने का निर्णय ट्रस्ट मण्डल द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

Manager
Sky International School
..., Maniram
Gorakhpur

Principal
Sky International School
Maniram

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 446938

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर किसी अन्य सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशनः

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 7 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी सचिव द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया–कलापों और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः—

1. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होनें की स्थिति में अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।
3. ट्रस्ट मण्डल की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और समय समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा मुख्य प्रबन्धक व

Manager
Sky International School
[illegible] Maniram

Principal
Sky International School

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 446943

अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी, गैर सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग व सहायता प्राप्त करना।

4. ट्रस्ट मण्डल की बैठकों को आयोजित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करना तथा बैठकों की तिथि को अनुमोदित, स्थगित व निरस्त करना।
5. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करना।
6. ट्रस्ट के खाते का संचालन सचिव व कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से करना।

8. सचिव व प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबन्धक के रूप में कार्य करना।
2. ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
3. ट्रस्ट मण्डल की बैठकों को अध्यक्ष की सहमति से आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
4. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
5. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा इस कार्य के लिए ट्रस्ट मण्डल की सहमति से अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
6. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।

9. कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के नाम बैंक में खोले गये खाते में जमा करना तथा आय व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना।
2. ट्रस्ट के खाते का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव के साथ संयुक्त रूप से करना।
3. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।

Manager
Sky International School
Vishunpur, Maniram
Gorakhpur

Principal
Sky International School

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 446944

4. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा व रिर्पोट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराना और उसकी रिपोर्ट ट्रस्टमण्डल के समक्ष रखना।
5. ट्रस्ट के वित्तीय हितों की सुरक्षा के वावत आवश्यक कार्य करना।

10. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीयकृत /मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियाँ निहित होगी। ट्रस्ट का खाता तीनो मुख्य ट्रस्टीगण के हस्ताक्षर से खोला जायेगा, जिसका संचालन मुख्य ट्रस्टी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष में से किन्ही दो के द्वारा संयुक्त रूप से स्वयं अथवा अपने स्थान पर किसी अन्य ट्रस्टी को नामित कर ट्रस्ट मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव के अधीन किया जायेगा।

11. ट्रस्ट के अभिलेख :

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व तीनों मुख्य ट्रस्टीगण का संयुक्त रूप से होगा। प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखा रजिस्टर रखा जायेगा।

12. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था:–

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी:–

यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष संयुक्त रूप से अधिकृत होंगे।

Manager
Sky International School
Vishunpur, Maniram
Gorakhpur

Principal
Sky International School

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 446945

2. यह कि मुख्य ट्रस्टीगण ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट की सम्पति या सम्पत्तियों को नियमानुसार विधिक अनुमति प्राप्त कर किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

3. यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी में से प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

4. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी ।

5. ट्रस्ट के अधीन , स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

6. ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

7. ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बाबत भी यह शर्तें लागू होगीं।

Manager
Sky International School
Vishunpur, Maniram
Gorakhpur

Principal
Sky International School

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 446946

13. ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड व सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में शासन के निम्नांकित प्रतिबन्ध स्वीकार होंगे–

a. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

b. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

c. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

d. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

e. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

f. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।

g. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

h. उक्त शर्तों में शासन के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

Manager
Sky International School
Vishunpur, Maniram

Principal
Sky International School
Vishunpur, Maniram

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 446951

घोषणा

"आर0डी0एस0 एजूकेशनल ट्रस्ट" की तरफ से हम गजेन्द्र प्रताप सिंह, अमरेन्द्र कुमार सिंह एवं **उमाशंकर सिंह** मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस ट्रस्ट का विधिवत् गठन हो सके। यह भी घोषित करते है कि ट्रस्ट के स्थापना के समय इस ट्रस्ट विलेख में उल्लिखित 10000.00 रूपये की धनराशि के अतिरिक्त कोई अन्य चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के पास नहीं है।

हस्ताक्षर मुख्य ट्रस्टीगण

हस्ताक्षर साक्षीगणः

दिनांक 20.3.2015

प्रारूपकर्त्ता

Manager
Sky International School
Vishunpur, Maniram

Principal
Sky International School
Vishunpur, Maniram

हीरालाल लाईसेन्सदार
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
ला०नं०-6

आज दिनांक **20/03/2015** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **206**

पृष्ठ सं. **119** से **146** पर कमांक **63**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी उप निबन्धक

उप निबन्धक प्रथम

गोरखपुर

20/3/2015

Manager
Sky International School
Vishunpur, Maniram

Principal
Sky International School